संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 15.08.2022**

आज दिनांक 15.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग से छेड़खानी के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 275 / 2022 धारा 354क / 504 भादवि व 7 / 8 पास्को एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता राजकुमार पुत्र रामवृक्ष निवासी साखी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 07.08.2022 को वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुस कर छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी विरोध करने पर गाली गुप्ता दी गयी थी जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 15.08.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम- प्रभारी चौकी कालीजगदीशपुर उ0नि0 श्री हरिकेश भारती मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल 01 व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत नाथनगर से इवेन्ट संख्या 011285 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति नाम पता (हनुमान ओझा पुत्र ब्रम्हानन्द निवासी ओझा पट्टी, थाना महुली) के घायल होने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पीआवी वाहन से प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह, मु0आ0 गोरखनाथ, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनो से 34,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 15.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनों से 34,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।